

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 223/2017

1. राजू पुत्र हजारी
 2. अर्जुन पुत्र हजारी
- तमाम जाति बागरिया निवासी देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर

—वादीगण

◆ बनाम ◆

1. राजस्थानसरकार जय श्रीमान तहसीलदार केकडी जिला अजमेर
 2. रतन पुत्र चौधमल भाट
 3. गोपाल पुत्र चौधमल भाट
 4. नाथू पुत्र चौधमल भाट
 5. मूलचन्द पुत्र रामदेव कौली
 6. प्रताप पुत्र हरजी बागरिया
- तमाम निवासीगण ग्राम देवगांव तह.केकडी जिला अजमेर

— अप्रार्थीगण

7. गलकू पत्नि हजारी
8. कजोड पुत्री हजारी
9. बदाम पुत्री हजारी
10. प्रेम पुत्री हजारी
11. पांचू पुत्र हजारी

तमाम जाति बागरिया निवासीगण देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर

—प्रफॉर्मा प्रतिवादी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश


दिनांक 22.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम देवगांव की जमाबन्दी संवत 2069-72 के

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	
नया	पुराना			
164	978-79	3641	0.13	बारानी 2
		3643	0.06	बारानी 2
		3964	0.53	बारानी 1
		3965	0.28	बारानी 1
	कुल किता 4			

कुल रकबा 1.00 हैक्ट.


उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)




उक्त वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण व प्रफॉर्मा स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। उक्त आराजीयात के सीमाचिन्ह खुर्द बुर्द हो गये जिस कारण आराजीयात के पडोसी कब्जेकाशत के संमय छोटी छोटी बात पर अप्रार्थीगण से लडाईं झगडे होते है तथा अप्रार्थीगण येनेकेन प्रकार से प्रार्थीगण को उनकी आराजीयात से बेदखल करने पर उतारू रखते है। जिस कारण मजबूर होकर प्रार्थीगण को पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। प्रार्थीगण दिनांक 25.4.17 को उक्त आराजी की देखभाल करने गये। तब अप्रार्थीगण द्वारा सीमाचिन्ह नही होने से धमकी दी कि यहां तक हमारा खेत है तथा सीमाचिन्हो के अभाव में खेत में काशत नहीं करने दी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजीयात की पत्थरगढी सभी पक्षकारान की उपस्थिति में करवाये जाने के आदेश तहसीलदार केकडी को दिया जावे।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित होये। उन्हे सुना गया। अप्रार्थीगण को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। परोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नहीं होता है। तहसीलदार केकडी द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 8.6.2018 में अवगत कराया कि खसरा नम्बर 3641, 3643, 3964, 3965 कुल किता 4 रकबा 1.00 है। में राजू व अर्जुन पुत्रगण हजारी का ही कब्जा काशत होना बताया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काशतकार है। खातेदार काशतकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भूरा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम देवगांव की जमाबन्दी संवत 2069-72 के खाता संख्या नया पुराना 164-978-79 कुल किता 4 कुल रकबा 1.00 है। की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 22.11.2021 को केम्प देवगांव मजमे आम मे सुनाया गया।




(बिकास पंचोली)
तहसीलदार अधिकारी
केकडी (अजमेर)
केकडी